सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0 05/2023 (जी.सी.एम.एस.नम्बर: 2023/29)

पीठासीन अधिकारी:—श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. रूस्तम पुत्र भगवान सिंह वारिस व काबिज जायदाद रूपन पुत्र चरना
2. सुरेश
3. महावीर सिंह
4. हाकिम सिंह
   } पुत्रगण श्यामलाल
5. रनवीर सिंह
6. जल सिंह
7. बलराम
8. बृजेश कुमार
9. गोकल सिंह
   } पुत्रगण तेज सिंह
10. कृष्ण कुमार पुत्र अतर सिंह

(क्रमांक 1 से 10) वारिस व काबिज जायदाद रतनलाल पुत्र चरना जातियान जाट नि0कौथरा तहसील गोबर्धन(मथुरा)उ.प्र.

11. लक्ष्मन
12. दीनदयाल
13. खरग सिंह
14. राकेश
    } पुत्रगण मानसिंह वारिस व काबिज जायदाद प्रहलाद पुत्र चरना जातियान जाट नि0 ग्राम कौथरा तहसील गोबर्धन(मथुरा)उ.प्र.

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

निर्णय

दिनांक: 04.12.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 1748/0.15, 1824/0.11, 1779/0.13, 1780/0.42, 1781/0.22, 1782/0.21, 1747/0.55, वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग में स्थित है। हाल बन्दोवस्त में गत आराजी खसरा नम्बरान 2449, 2443, 2446, 2448, 2447, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग के बदले में बनाया गया है। प्रार्थीगण के बाबा चरना के तीन पुत्र पैदा हुए थे जिनमें प्रार्थी संख्या 01 का दादा रूपन, प्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 10 का दादा रतनलाल एवं प्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 14 का दादा प्रहलाद थे। विवादित आराजी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण उक्त तीनों दादा रूपन,रतनलाल,प्रहलाद पुत्रगण चरना की वाहिस्सा बरावर हिस्सा 1/3–1/3 की आराजी थी जिस पर उक्त तीनों भाई वाहिस्सा बरावर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। जिनमें से

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

रूपन पुत्र चरना की मृत्यु होने पर उसका पुत्र भगवान सिंह पिता प्रार्थी संख्या 01 हिस्सा 1/3 की आराजी पर एवं रतनलाल पुत्र चरना की मृत्यु होने पर उसके तीन पुत्र श्यामलाल,तेज सिंह ,अतर सिंह पिता प्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 10 वाहिस्सा बरावर हिस्सा 1/3 यानि कुल आराजी के हिस्सा 1/9, 1/9की आराजी पर तथा प्रहलाद पुत्र चरना की मृत्यु होने पर प्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 14 का पिता मान सिंह पुत्र प्रहलाद हिस्सा 1/3 की आराजी पर काबिज वाहैसियत खातेदार काश्तकार हुए, प्रार्थीगण के पिता भगवान सिंह पुत्र रूपन,श्यामलाल,तेजसिंह,अतर सिंह पिस0 रतनलाल एवं मान सिंह पुत्र प्रहलाद की मृत्यु होने पर प्रार्थी संख्या 01 हिस्सा 1/3 पर तथा प्रार्थी संख्या 02 लगायत 10 वाहिस्सा बरावर 1/3 की आराजी पर तथा शेष हिस्सा 1/3 की आराजी पर प्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 14 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर भी काबिज है। बन्दोवस्त विभाग को उक्त गत खसरा नम्बरान से बने नवीन खसरा नम्बरान पर चरना के तीनों पुत्रों रूपन,रतनलाल व प्रहलाद को वाहिस्सा बरावर हिस्सा 1/3, 1/3 का उक्त तीनों नामों से ही इन्द्राज दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन बन्दोवस्त विभाग ने गलत तरीके से आराजी खसरा नम्बरान 1779/0.13, 1780/0.42, 1781/0.22, 1782/0.21 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 10 के दादा रतनलाल पुत्र चरना के स्थान पर रमन पुत्र चरना गलत दर्ज कर दिया जबकि रमन पुत्र चरना नाम का कोई पुत्र चरना से पैदा नहीं हुआ इसलिए उक्त खसरा नम्बरान में जो लिपिकीय पुटिवश प्रार्थी संख्या 02 लगायत 10 के दादा का नाम रमन पुत्र चरना गलत दर्ज किया है उसे दुरूस्त किया जाकर रतनलाल पुत्र चरना दर्ज किया जाना आवश्यक है। नवीन आराजी खसरा नम्बरान 1748/0.15, 1824/0.11, वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग को हाल बन्दोवस्त में गत आराजी खसरा नम्बर 2449 व 2526 से बनाया गया है जिसमें बन्दोवस्त से पूर्व चरना के तीनों पुत्रों रूपन,रतनलाल व प्रहलाद के नाम इन्द्राज दर्ज थे लेकिन बन्दोवस्त के पश्चात गलत तरीके से रूपन पुत्र चरना हिस्सा 1/3 दर्ज किया जाना चाहिए था। अन्य खातेदार रतनलाल पुत्र चरना एवं प्रहलाद पुत्र चरना के इन्द्राज सही दर्ज किये गये है इसलिए उक्त खसरा नम्बरान में रतन पुत्र चरना के स्थान पर रूपन पुत्र चरना दर्ज किया जाना आवश्यक है। नवीन खसरा नम्बर 1747/0.55 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग को हाल बन्दोवस्त में गत आराजी खसरा नम्बरान 2443, 2446, 2448, 2449 मिन से बनाया गया है जिसके गत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में रूपन,रतनलाल व प्रहलाद पिस0चरना वाहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड थे लेकिन बन्दोवस्त विभाग ने उक्त गत खसरा नम्बरान से नवीन खसरा नम्बर 1747/0.55का इन्द्राज दर्ज करते समय गलत तरीके से रमन पुत्र चरना हिस्सा 1/4 इन्द्राज एवं प्रहलाद पुत्र रतन गलत इन्द्राज दर्ज कर दिया जबकि रमन पुत्र चरना इन्द्राज पूरी तरह गलत है तथा प्रहलाद पु रतन के स्थान पर प्रहलाद पुत्र चरना पृथक से इन्द्राज मॉजूद है। इसलिए प्रहलाद पुत्र रतन एवं रमन पुत्र चरना का इन्द्राज डिलीट होना आवश्यक है। उक्त त्रुटि बन्दोवस्त विभाग द्वारा नवीन इन्दाज दर्ज करते समय लिपिकीय त्रुटि के कारण की गई है जिनसे प्रार्थीगण के हक व हित प्रभावित हो रहे है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

नम्बरान 1779/0.13, 1780/0.42, 1781/0.22, 1782/0.21 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में रमन पुत्र चरना हिस्सा 1/3 के स्थान पर रतनलाल पुत्र चरना तथा आराजी खसरा नम्बर 1748/0.15, 1824/0.11 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में रमन पुत्र चरना हिस्सा 1/3 के स्थान पर रूपन पुत्र चरना तथा नवीन खसरा नम्बर 1747/0.55 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में रमन पुत्र चरना हिस्सा 1/4 तथा प्रहलाद पुत्र रतन हिस्सा 1/16 इन्द्राज कलमजन होकर जमाबन्दी खाता संख्या 281 में दर्ज अतर सिंह,तेज सिंह,श्यामलाल पुत्रगण रतन हिस्सा 1/9, 1/9 के तथा प्रहलाद पुत्र चरना हिस्सा 1/3 तथा भगवान सिंह पुत्र रूपन हिस्सा 1/3 दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांकः एलआर/2024/2680 दिनांक 04.11.2024 में अंकित किया गया है कि "रिकार्ड के अवलोकन तथा मिलान क्षेत्रफल से हाल व गत नम्बरों व हाल गत जमाबन्दियों के तुलनात्मक जॉच से ज्ञात होता है कि बन्दोवस्त पूर्व रिकार्ड में भी एवं बाद में भी रिकार्ड में कई इद्राज गलत दर्ज हो गये है। प्रार्थीगण के निवास स्थान ग्राम कौंथरा में पटवारी हल्का सामई द्वारा मौका जॉच पर लोगों ने बताया कि चरना के तीन पुत्र थे रूपन, प्रहलाद, रतनलाल इनके अतिरिक्त अन्य कोई पुत्र नहीं था समस्त रिकार्ड अवलोकन पश्चात खसरा नम्बरान 1779, 1780, 1781, 1782 पर रमन पुत्र चरना के स्थान पर रतनलाल पुत्र चरना व खसरा नम्बर 1748,1824 पर रमन पुत्र चरना हिस्सा 1/3 के स्थान पर रूपन पुत्र चरना हिस्सा 1/3 व 1747 पर रमन पुत्र चरना हिस्सा 1/4 प्रहलाद पुत्र रतन हिस्सा 1/16 इन्द्राजात को कलमजन कर अतर सिंह,तेज सिंह,श्यामलाल पुत्रगण रतन हिस्सा 1/3 प्रहलाद पुत्र चरना हि0 1/3,भगवान सिंह,रूपन हि0 1/3 कॉम जाट नि0 कौंथरा खातेदार दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है।"

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्बत 2020 से 2024 का अवलोकन किया। साविक खसरा नम्बर 2449, 2443, 2446, 2448, 2447, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475 की प्रविष्टियॉ रूपन, प्रहलाद,रतनलाल पिस0 चन्ना जाट सा0 कौथरा जिला मथुरा वाहिस्सा बरावर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 भू–प्रबंध विभाग के अनुसार इन साविक खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बरान 1748, 1824, 1779, 1780, 1781, 1782, 1747 बने है। मिसल बन्दोवस्त भू–प्रबंध विभाग सम्बत 2040 में भू–प्रबंध विभाग ने खसरा नम्बरान 1779, 1780, 1781, 1782 प्रविष्टियां रूपन प्रहलाद रमन पिस0 चरना खसरा नम्बर 1747 की प्रविष्टियां रूपन प्रहलाद रमन पिस0 चरना हि0 3/4 व प्रहलाद रमन व रमन पिस0 चरना हि0 1/4, खसरा नम्बर 1748,1824 की प्रविष्टियां प्रहलाद रमन व रमन पिस0 चरना करदी। जबकि मुताविक रिपोर्ट पटवारी हल्का खेडा ब्राह्मण चरना के तीन ही पुत्र थे, रूपन,रतनलाल और प्रहलाद जिनका भू–प्रबंध से पूर्व वाहिस्सा बरावर था। चरना फौत हो चुके है उनके तीनों पुत्र रूपन,रतनलाल,प्रहलाद भी फौत हो चुके है। रूपन के

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

एक पुत्र हुए भगवान सिंह जो मृत हो चुका है उनका वारिसा प्रार्थी संख्या 1 रूस्तम पुत्र भगवान सिंह है जिसका हिस्सा 1/3 बनता है। रतनलाल के तीन पुत्र हुए भयामलाल, तेजसिंह, अतरसिंह जिनका वाहिस्सा बरावर 1/9 बनता है जो भी मृत हो चुके है। प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 वाहिस्सा बरावर 1/9 तेजसिंह के वारिसान है। प्रार्थी संख्या 10 हिस्सा 1/9 अतर सिंह का वारिसान है। प्रहलाद के पुत्र हुए मान सिंह जो मृत हो चुके है। उनके वारिसान प्रार्थी संख्या 11 लगायत 14 है जिनका वाहिरस्सा बरावर 1/12 बनता है। वकील प्रार्थीगण की बहस एवं मुताविक तहसीलदार डीग की रिपोर्ट खसरा नम्बररान 1779, 1780, 1781, 1782 पर रमन पुत्र चरना के स्थान पर रतनलाल पुत्र चरना खसरा नम्बरान 1748, 1824 पर रमन पुत्र चरन सिंह के स्थान पर रूपन पुत्र चरना खसरा नम्बर 1747 पर रमन पुत्र चरना हि० 1/4 प्रहलाद पुत्र रमन हि0 1/6 के इन्द्राज पूर्णतया कलमजन किये जाकर अतर सिंह,तेज सिंह, श्यामलाल पुत्र रतन वाहिस्सा बरावर 1/9 भगवान सिंह पुत्र रूपन हि0 1/3 प्रहलाद पुत्र चरना हि0 1/3 कॉम जाट नि0 कौथरा तहसील गोबर्धन जिला मथुरा(उ.प्र.) खातेदार दर्ज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। खसरा नम्बरान 1779/0.13, 1780/0.42, 1781/0.22, 1782/0.21 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में रमन पुत्र चरना हिस्सा 1/3 के स्थान पर रतनलाल पुत्र चरना तथा आराजी ख0 नम्बरान 1748/0.15, 1824/0.11 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में रमन पुत्र चरना हिस्सा 1/3 के स्थान पर रूपन पुत्र चरना तथा नवीन खसरा नम्बर 1747/0.55 वाके ग्राम खेडा ब्राह्मण तहसील डीग के राजस्व रिकार्ड में रमन पुत्र चरना हिस्सा 1/4 तथा प्रहलाद पुत्र रतन हिस्सा 1/16 इन्द्राज कलमजन किये जाकर जमाबन्दी खाता संख्या 281 में दर्ज अतर सिंह, तेज सिंह, श्यामलाल पुत्रगण रतन हिस्सा 1/9, 1/9 के तथा प्रहलाद पुत्र चरना हिस्सा 1/3 तथा भगवान सिंह पुत्र रूपन हिस्सा 1/3 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner